संख्या-229/2016/436 मंत्री/26-3-2016-3(1)/2016टी.सी.

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक-21 दिसम्बर, 2016

विषयः मझवार जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 के क्रमांक-53 पर मझवार ¼**MAJHWAR**½ जाति अंकित है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि मझवार समुदाय के पात्र व्यक्तियों को गोड़िया/मल्लाह आदि पिछड़ी जाति बताकर उन्हे मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त समुदाय के लोगों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में श्री अजय कुमार, जनपद-फैजाबाद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-4568/2007 योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

Accordingly, the petitioners are allowed to file all the documents along with aplication before the commissioner, who is directed to look into the matter and pass appropriate orders in accordance with law and on the result of the inquiry, ifany. The decision shall be taken by him within a maximum period of two months from the date a certified copy of this order is placed before him.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में मण्डलीय अपीलीय फोरम फैजाबाद द्वारा दिनांक-30.09.2016 को मझवार जाति के पात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2086/26-3-2015, दिनांक-09.07.2015 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि किसी व्यक्ति की जाति उसके नाम के समक्ष अंकित जाति सूचक शब्द के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीवकोपार्जन हेतु अपनाये जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न शासनादेशों द्वारा यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु केवल 1359

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फसली को ही आधार न माना जाय अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिये गांव के आस-पास के निर्विवादित मझवार परिवार से स्थलीय पूछ-ताछ/जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी0सी0 एवं अन्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का पूर्णरूप से परीक्षण आदि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जायेगा।

3- अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भली-भांति जांच एवं सुसंगत अभिलेखों के आधार पर मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें और यदि किसी भी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि मझवार समुदाय का कोई व्यक्ति मल्लाह, केवट आदि से सम्बन्धित है, के अधार पर उसे मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर रहा है तो उसके विरूद्ध सतर्कता प्रकोष्ठ में जांच संस्थित कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

पृ0सं0-229/2016/436मंत्री(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0।

2- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।